24.04.2024 वादी द्वारा श्री लूनकरण उके अधिवक्ता उपस्थित ।

प्रतिवादी एकपक्षीय।

प्रकरण आदेश 7 नियम 10 व्य.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत हैं।

वादी अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वाद का मूल्यांकन 7,38,196/– (सात लाख छत्तीस हजार एक सौ छियान्बे रूपये) किया गया है ।

व्यवहार न्यायालय अधिनियम एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा कार्य वितरण आदेश क्रमांक क/एक–11–1/2017 दिनांक 02.01.2024 के अनुसार इस न्यायालय को 1 रूपये से 5,00,000/– रूपये मूल्यांकन तक के वादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हैं । वर्तमान वाद में वाद मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये से अधिक होने के कारण इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है । इस संबंध में न्यायालय द्वारा वादी को अपना वाद समक्ष क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया था परंतु वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई कार्यावाही अमल में नहीं लायी गयी हैं ।

चूंकि उपरोक्तानुसार यह पाया गया है कि इस वाद की सुनवाई की धन संबंधी क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस वाद को व्य.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत

क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटा दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं ।

अतः उपरोक्तानुसार आदेश किया गया कि वादी का वादपत्र, न्यायालय शुल्क मय असल दस्तावेजो को उसे उचित रूप से पृष्ठांकित कर उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटाया जावे ।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

प्रकरण का परिणाम लेखबद्ध कर शेष अभिलेख अभिलेखागार में नियम अवधि के भीतर जमा किया जावे ।

सही/-
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
डोंगरगढ़, राजनांदगांव (छ.ग.)